राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 879वी बैठक दिनांक 18.03.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 879वी बैठक दिनांक 18.03.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/859/24	1(a)	गुना	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/922/24	1(a)	जबलपुर	मार्बल खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/575/24	1(a)	झाबुआ	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/978/24	1(a)	मुरैना	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	10480/2023	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	11110/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
7.	11090/2023	1(a)	रायसेन	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
8.	10717/2023	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
9.	10831/2023	1(a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
10.	11037/2023	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	10996/2023	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
12.	11080/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
13.	P-2/882/24	1(a)	मुरैना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	जारी किया जाये

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

					(DEIAA - EC)	
14.	P-2/891/24	1(a)	अनूपपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
15.	P-2/1035/25	1(c)	अलीराजपुर	सिचाई परियोजना	ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	P-2/1038/25	1(c)	होशंगाबाद	सिचाई परियोजना	ToR	जारी किया जाये
17.	P-2/1040/25	1(c)	बड़वानी	सिचाई परियोजना	ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
18.	P-2/1036/25	1(c)	धार	सिचाई परियोजना	ToR	जारी किया जाये
19.	P-2/1037/25	1(c)	बड़वानी	सिचाई परियोजना	ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	P-2/1039/25	1(c)	खरगौन	सिचाई परियोजना	ToR	जारी किया जाये

1. Case No P2/859/24 Prior Environment Clearance for Mohanpurkala Stone Quarry with a Production Capacity of 19,000 Cubic Meter / Year Gitti having a lease area of 4.00 Ha., Khasra No. - 57/1, Village - Mohanpura, Tehsil– Guna, Distt- Guna (M.P.). by Shri Nishank Garg, S/o Shri Bhagwan Das Garg, R/o - Jaat Muhalla Guna, District- Guna, (M.P) - 473001- ToR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

2. Case No. P2/922/24 Prior Environment Clearance for Marble Mine in an area of 4.80 ha. (Marble-3801 cum per annum Saleable waste- 7059 cum per annum) (Khasra No. 226/1, 226/2, 227, 228) Village Ghutehi, Tehsil- Majhauli, District- Jabalpur (M.P.). by Shri Alok Gupta, Partner, M/s Rajas Marble Industries, 1024 Bai ka Bagicha Ghamapur Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.) SIA/MP/MIN/467984/2024 (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 763 वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

3. Case No. P2/575/24 Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.25 ha. (Stone – 25,650 m3/Year (Khasra No. 137/1, 137/2) Village -Navapada, TehsilMeghnagar, District –Jhabua (M.P.) by Shri Alkesh Bakaliya, lease owner, Himala, Rachharda Dahod Gujarat 389151. -TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 763 वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

4. **Case No. P2/978/24**. Prior Environment Clearance for Urhana Stone Quarry with Production Stone – 33,915 M3/Year. an Area of 2.50 Ha. in, Khasra No.– 1244, Village- Urhana , Tehsil– Morena, District-Morena (M.P.). by Shri Rajeev Sharma, D-2/001, Windsor Hills, New City Centre, Sirol, Gwalior, Sirol, Murar, Gwalior, Gird, (M.P.) - 474006 - ToR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 765 वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क. 10480/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हटे सिंह,सोलंकी, निवासी मकान नं. –45, नजीराबाद, तहसील बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)–462420 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 7115 घनमीटर प्रतिवर्ष, क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. – 212/1 ग्राम खजूरिया कलां तहसील– बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति। (DEIAA)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर माननीय एनजीटी/सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 200 मीटर तक छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। प्रकरण में SEAC द्वारा 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 के कार्यवाही विवरण में ब्लास्टिंग न किये जाने की शर्त के साथ अनुशंसा की गई किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक परिवेश पोर्टल पर नॉन ब्लास्टिंग का संशोधन अनुमोदित खनन योजना अपलोड नहीं की गई है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

6. प्रकरण क. 11110/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक जैन, निवासी A-12, अशोक विहार, जिला उज्जैन (म.प्र.)–456001 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. – 26 (26/2), ग्राम शंकरपुर, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र कमांक 590/खनिज/2016 – 17 दिनांक 09.03.2017 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 18.06.2017 से 17.06.2027 तक) नवीनीकरण की स्वीकृति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.06.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद समस्त वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा। मौजूद वृक्षों की प्रजातियों के नाम की इन्वेन्ट्री अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 879वी बैठक दिनांक 18.03.2025 का कार्यवाही विवरण

7. प्रकरण क. 11090/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर्शीवाद एसोसिएट प्रो0, श्री किशनलाल मूलचंदानी, निवासी –**44**, जोन–2, एम.पी. नगर जिला भोपाल (म.प्र.)–462016 द्वारा मिट्टी खदान (ऑपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 9018 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.63 हेक्टेयर, खसरा नं. – 38, 48 भाग, ग्राम अगरिया–चोपड़ा, तहसील –रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र कमांक 144/खनिज/2021 दिनांक 27.05.2021 के माध्यम से 10 वर्ष (04.10.2021 से 03.10.2031 तक) के नवीनीकरण की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.10.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद समस्त वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा। मौजूद वृक्षों की प्रजातियों के नाम की इन्वेन्ट्री अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व क्लडै की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 879वी बैठक दिनांक 18.03.2025 का कार्यवाही विवरण

8. प्रकरण क. 10717/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश दांगी, निवासी, ग्राम पड़ोनिया, पंचायत पड़ोनिया ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.)–465674 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. – 192/1, ग्राम पड़ोनिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के पत्र कमांक 755/खनिज/2022 दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 13.02.2022 से 12.02.2032 तक) नवीनीकरण की स्वीकृति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.02.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. प्रकरण क. 10831/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक रघुवंशी, निवासी, वार्ड नं.–07, एम.आर. टायर शोरूम के पास गणेश कालोनी, बायपास रोड़, जिला अशोकनगर (म.प्र.)–473331 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर खसरा नं. – 380, ग्राम अखाईटप्पा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के पत्र कमांक क्यू/खनिज/3–6/क्यू.एल. 08/2016/171 दिनांक 27.03.2017 के माध्यम से 10 वर्ष के माध्यम से सैद्धान्तिक मंजूरी जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.03.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क. 11037/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र किलेदार, निवासी, बाजार चौक, भैंसदेही, तहसील भैसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)–460220 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 5842 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा नं. – 63/2, 63/4, ग्राम राबड्या, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर माननीय एनजीटी/सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप पक्की सड़क से निर्धारित दूरी 200 मीटर तक छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। प्रकरण में SEAC द्वारा 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 के कार्यवाही विवरण में ब्लास्टिंग न किये जाने की शर्त के साथ अनुशंसा की गई किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक परिवेश पोर्टल पर नॉन ब्लास्टिंग का संशोधन अनुमोदित खनन योजना अपलोड नहीं की गई है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

11. प्रकरण क. 10996/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र तोमर, निवासी, 303/K गायत्री कालोनी बैड़िया तहसील–सनवाद, जिला –खरगोन (म.प्र.)–451113 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 25710 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. – 105, 149/1, 149/2, 147/1, 150, 151/1, ग्राम कालबरड, तहसील सनावद जिला खरगोन (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 879वी बैठक दिनांक 18.03.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 800/खनिज/15 दिनांक 29.12.2015 के माध्यम से 10 वर्ष के माध्यम से सैद्धान्तिक मंजूरी जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.12.2025 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों में से काटे जाने वाले 5 वृक्षों के एवज में रोपित 50 पौधों में से कितने पौधे जीवित अवस्था में के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के प्राधिकरण में DEAA EC की शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क. 11080/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुप्रिया सारडा, निवासी– 2, गांधी मार्ग, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)–456010 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.90 हेक्टेयर, खसरा नं. – 163/1, 164/2, ग्राम रोहिडा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र कमांक 1388/खनिज/2018–19 दिनांक 06.08.2018 के माध्यम से 10 वर्ष के माध्यम से सैद्धान्तिक मंजूरी जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.08.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क. P2/882/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राम विलास पिता रामस्वरूप सिंह गुर्जर, निवासी– ग्राम छड़ेह, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)–47622 द्वारा पत्थर खदान (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा नं. – 630, ग्राम मजरा तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र कमांक खनि/3–6/क्यू.एल./83/16/573 दिनांक 14.01.2020 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 23.06.2017 से 22.06.2027 तक) के माध्यम से सैद्धान्तिक मंजूरी जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.06.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क. P2/891/24 परियोजना प्रस्तावक श्री अजीत अग्रवाल, निवासी–वार्ड क.–10 CMPDI केंप रोड़ बिजुरी, जैतपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)–484440 द्वारा पत्थर खदान (गिट्टी) (ऑपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 14,997 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.530 हेक्टेयर, खसरा नं. – 888, ग्राम पथरौड़ी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 761वी बैठक दिनांक 30.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के पत्र कमांक 318/खनिज/उ.प./2018 दिनांक 20.02.2018 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 02.11.2017 से 01.11.2027 तक) के माध्यम से सैद्धान्तिक मंजूरी जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.11.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रियाऐं प्रारंभ करने के पूर्व खनन क्षेत्र में स्थित वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 वृक्ष के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 30 पौधों का रोपण अनिवार्यतः किया जाये एवं सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेंगे। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के SEIAA कार्यालय में प्रेषित किया जायें। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. Case No. P2/1035/25 Prior Environment Clearance for Sondwa Micro Lift Irrigation Project, 55,013 Ha. of CCA in Alirajpur district. A Total of 169 villages of Alirajpur district will be benefited by this scheme by, Executive Engineer, CE NVDA Lower Narmada Projects Indore, Lower Narmada Projects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme no 74-C, Vijay Nagar – Indore, Distt.- Indore (M.P.)-452010 Email: cenvda.alirajpur@gmail.com ToR Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects Proposal No. SIA/MP/RIV/519572/2025.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775 वी बैठक दिनांक 21.02.24 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के आधार पर प्रस्तावित परियोजना से अंर्तराज्यीय गुजरात सीमा की दूरी 0 मीटर है, जबकि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

विभाग अलीराजपुर द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पत्र अनुसार अंर्तराज्यीय सीमा की दूरी 50 किलोमीटर होना बताया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 अनुसार 1(c) श्रेणी की परियोजनाओं में यदि अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर के अंदर स्थित है तो प्रकरण ए–श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

16. Case No. P2/1038/25: Prior Environment Clearance for SHAHEED ILAP SINGH LIFT MICRO Irrigation Project is to provide irrigation facilities to the water-scarce areas in upper reaches of Handiya, Harda, Khirkiya and Timarni tehsil of Harda distt., The SHAHEED ILAP SINGH MICRO Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 26,890 ha., Gross command area (GCA)- 56069 ha., Culturable command area (CCA)- 26890 ha., Irrigable command area (ICA)- 26890 ha. by Project Administrator, PIU, Morand Ganjal And Hoshangabad Barrage Implementation Unit,Nvda, Seoni Malwa, Hoshangabad – (M.P.) 461223. Proposal No. SIA/MP/RIV/520254/2025

1. उक्त प्रकरण शहीद इलाव सिंह लिफ्ट माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है। इसका उद्देश्य हरदा जिले के हंडिया, हरदा, खिरकिया और टिमरनी तहसील के ऊपरी इलाकों में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है। शहीद इलाव सिंह माइक्रो सिंचाई परियोजना हरदा जिले में लगभग 26,890 हेक्टेयर, CCA तथा 56069 हेक्टेयर GCA में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, हरदा को पत्र क्रमांक 143 दिनांक 28. 01.2025 के माध्यम से परियोजना क्षेत्र से नेशनल पार्क, अभयारण्य की दूरी हेतु एव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, हरदा को पत्र क्र. 144 दिनांक 28.01.2025 के माध्यम से परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी हेतु आवेदन किया है।
3. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 8.0 हेक्टेयर है जिसमे शासकीय भूमिः 03.0 हेक्टेयर वन भूमिः 5.0 हेक्टेयर शामिल है.।
4. SEAC की 775 वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित टॉर प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 93 से 96 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775 वी बैठक दिनांक 21.02.24 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ टॉर (TOR) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. चूंकि परियोजना में 5.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस मंजूरी प्राप्त कर ईआईए रिपोर्ट के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैर वन भूमि में सम्मिलित ग्रामों की ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव एवं भू–अर्जन से संबंधित दस्तावेज ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायें।
2. परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, हरदा को पत्र क्रमांक 143 दिनांक 28.01.2025 के माध्यम से परियोजना क्षेत्र से नेशनल पार्क, अभयारण्य दूरी हेतु एव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, हरदा को पत्र क्र. 144 दिनांक 28.01. 2025 के माध्यम से परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी हेतु आवेदन किया गया है, इसलिए परियोजना प्रस्तावक कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, हरदा एव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, हरदा से अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए और इसकी प्रति ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area), forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानेवाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।
5. Site specific management plan का विस्तृत अध्यनकर ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
6. Sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्न उपयोग का प्रावधान को ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
7. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।
8. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।
9. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा ईआईए रिपोर्ट में करे।

17. Case No. P2/1040/2025: Prior Environment Clearance for Niwali Micro lift irrigation Project is proposed to Irrigate 33,179 Ha Culturable command area in Pati, Barwani, Niwali and Rajpur Tehsils in Barwani District in Madhya Pradesh.(M.P.) by Executive Engineer, Office of the Executive Engineer Narmada Vikas Sanbhag NO. 11 Barwani Distt.- Barwani Cat. - 1(c) River Valley / Irrigation Projects, ToR .on-line proposal no. SIA/MP/RIV/522436/2025 Email: nddivisionno11barwani@rediffmail.com

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775 वी बैठक दिनांक 21.02.24 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नन्नुसार स्थिति पाई गई :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के आधार पर प्रस्तावित परियोजना से अंर्तराज्यीय सीमा (महाराष्ट्र) 3.19 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बड़वानी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पत्र अनुसार अंर्तराज्यीय सीमा की दूरी 52 किलोमीटर होना बताया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 अनुसार 1(c) श्रेणी की परियोजनाओं में यदि अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर के अंदर स्थित है तो प्रकरण ए–श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

18. **Case No. P2/1036/25 :** Prior Environment Clearance for Dhar Lift Micro Irrigation Project has been conceived to catter irrigation water to about 50,000 ha of CCA in Dhar district Malwa- Malwa Nimar region in Dhar and Manawar Tehsils by, E.E., Narmada Development Division No. - 30 Manawar Distt. – Dhar (M.P.) - 454446. B1 Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects, Proposal No. SIA/MP/RIV/520361/2025.

1. उक्त प्रकरण धार लिफ्ट माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है, जिसका उद्देश्य धार जिले के मालवा–मालवा निमाड़ क्षेत्र के धार और मनावर तहसीलों में लगभग 50,000 हेक्टेयर सीसीए को सिंचाई जल उपलब्ध कराना है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार को पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से परियोजना क्षेत्र से नेशनल पार्क, अभयारण्य की दूरी हेतु एव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, धार को पत्र क्र. 2901 दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी हेतु आवेदन किया है।
3. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 35.0 हेक्टेयर है जिसमे शासकीय भूमिः 05.0 हेक्टेयर वन भूमिः 30.0 हेक्टेयर शामिल है.। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फारेस्ट क्लीयरेंस मंजूरी प्राप्त करने हेतु FP/MP/HYD/IRRIG/501881/2024 के माध्यम से पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार को आवेदन किया है।
4. SEAC की 775 वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित टॉर प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 85 से 88 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775 वी बैठक दिनांक 21.02.24 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ टॉर (TOR) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

1. चूंकि परियोजना में 30.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस मंजूरी प्राप्त कर ईआईए रिपोर्ट के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैर वन भूमि में सम्मिलित ग्रामों की ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव एवं भू–अर्जन से संबंधित दस्तावेज ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायें।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावति परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
4. परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार को पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से परियोजना क्षेत्र से नेशनल पार्क, अभयारण्य की दूरी हेतु एव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, धार को पत्र क्र. 2901 दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी हेतु आवेदन किया गया है, इसलिए परियोजना प्रस्तावक कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार एव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, धार से अनापत्ति प्राप्त की जानी चाहिए और इसकी प्रति ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
5. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area), forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानेवाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।
7. Site specific management plan का विस्तृत अध्यनकर ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
8. Sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्न उपयोग का प्रावधान को ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
9. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।
10. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।
11. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा ईआईए रिपोर्ट में करे।

19. Case No. P2/1037/25: Prior Environment Clearance for Sendhwa Micro Lift Irrigation Scheme Project Sendhwa MLIS will cater water scarce area thorugh lift irrigation in Barwani Region 44,189 Ha. CAA,(Benefits Villages Sendhwa: 67 Rajpur: 24 Niwali: 6 Barwani: 1) in Barwani district (M.P.) by, Executive Engineer, Narmada Development Division No 14, Thikri, Barwani- 451551. Cat.B1 - 1(c) River Valley/Irrigation Projects, Proposal No. SIA/MP/RIV/521363/2025

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775 वी बैठक दिनांक 21.02.24 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के आधार पर प्रस्तावित परियोजना से अंर्तराज्यीय सीमा (महाराष्ट्र) 5.44 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बड़वानी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पत्र अनुसार अंर्तराज्यीय सीमा की दूरी 50 किलोमीटर होना बताया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 अनुसार 1(c) श्रेणी की परियोजनाओं में यदि अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर के अंदर स्थित है तो प्रकरण ए–श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

20. **Case No. P2/1039/25:** Prior Environment Clearance for Maheshwar Janapav Micro Lift Irrigation Project is proposed to Irrigate 30,000 Ha. Culturable Command Area in Mhow Tehsil in Indore District, Pithampur Tehsil in Dhar District, Barwah Tehsil & Maheshwar Tehsil in Khargone District in (M.P.) by Executive Engineer, OSP Canal Division, (Infront of ITI Dhamnod) Dhamnod Dist.-Dhar, 454552. B! 1(c) River Valley/ Irrigation Projects, ToR Case. SIA/MP/RIV/521517/2025 Email :eedhmnd@gmail.com

1. उक्त प्रकरण महेश्वर जानापाव माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना इंदौर जिले की महू तहसील, धार जिले की पीथमपुर तहसील, बड़वाह तहसील और (म.प्र.) के खरगोन जिले की महेश्वर तहसील में 30,000 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रस्तावित पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है।
2. कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कार्यालय, खरगोन संभाग का पत्र क्रमांक 582 दिनांक 27.01.2025 के अनुसार परियोजना क्षेत्र से ओंकारेश्वर अभयारण्य – 65.40 किमी की दूरी पर स्थित है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खरगोन, जिला– संभाग पत्र क्र. 3675 दिनांक 12.12.2024 के अनुसार परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी 85.70 किलोमीटर है। अतः परियोजना General condition से परे है।
3. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 37.0 हेक्टेयर है जिसमे शासकीय भूमिः 05.0 हेक्टेयर वन भूमिः 32.0 हेक्टेयर शामिल है.।
4. SEAC की 775 वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो सहित टॉर प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 97 से 100 पर अंकित है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 879वी बैठक दिनांक 18.03.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775 वी बैठक दिनांक 21.02.24 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ टॉर (TOR) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. चूंकि परियोजना में 37.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस मंजूरी प्राप्त कर ईआईए रिपोर्ट के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैर वन भूमि में सम्मिलित ग्रामों की ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव एवं भू–अर्जन से संबंधित दस्तावेज ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायें।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावति परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
4. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area), forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानेवाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।
6. Site specific management plan का विस्तृत अध्यनकर ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
7. Sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्न उपयोग का प्रावधान को ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
8. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।
9. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।
10. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा ईआईए रिपोर्ट में करे।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष